कार्यालय नगर परिषद, गढ़वा

प्रेस विज्ञप्ति

नगर परिषद, गढ़वा में आवास विहिन आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक प्रत्येक परिवार को पक्का आवास देने की अति महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) है, इसमें वैसे व्यक्ति जिनका वर्तमान में अपनी जमीन है, परंतु किसी कारणवश या जानकारी के अभाव में अपना पक्का मकान का लाभ नही लिए है, वे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) घटक–4 के तहत इस योजना का लाभ लेने हेतु निम्नलिखित मानको के तहत दिनांक 25.08.2019 तक स्व–अभि प्रमाणित दस्तावेजों के साथ मा0 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / वार्ड पार्षद से स्पष्ट अनुशंसा कराकर नगर परिषद, गढ़वा कार्यालय में जमा करें।

- शपथपत्र भारत में किसी भी स्थान पर अपना अथवा अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का घर नही होगा।
- वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड सभी परिवार सदस्य का।
- भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र (17.06.2015 से पूर्व)
- अंचल गढ़वा का रसीद।
- पारिवारिक फोटो (घर या जमीन के साथ)।
- बैंक का पासबुक की छायाप्रति।
- मतदाता पहचान पत्र।

वैसे इच्छुक परिवार जिनके पास अपना पक्का का मकान नही हो उक्त आवेदक अधिक जानकारी हेतु प्रधानमंत्री आवास कक्ष गढ़वा नगर परिषद, के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है या आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन जमा कर सकते है। उक्त संबंध में जनहित की दृष्टि से निर्धारित तिथि के बाद आवास विहिन व्यक्ति कार्यालय में आवेदन निश्चित रुप से जमा करे, अन्यथा यह समझा जायेगा कि निर्धारित मापदण्डों के अनुकूल आवास निर्माण हेतु गढ़वा नगर परिषद, अंतर्गत आवास विहिन कोई भी योग्य व्यक्ति नही है।

31.7.19

अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, गढ़वा।